उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1

संख्या-12/2022/1469/94-1-2022-312(125)/2022

लखनऊ, दिनांक : 16 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना

सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम 5 के साथ पठित आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या-18 सन् 2016) की धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (दो) के उपबंधों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके तथा इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या 13(4)/2020-ईजी-।। (वॉल्यूम-।v) दिनांक 02.11.2022 के माध्यम से दिए गए अनुमोदन के अनुसरण में राज्यपाल, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया में पक्षकारों की पहचान, उनकी सहमति से, किये जाने के प्रयोजन के लिए उक्त पत्र में विहित रीति से आधार अधिप्रमाणन की प्रक्रिया अपनाये जाने की अनुज्ञा प्रदान करती हैं।

2- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के उपबंधों के अधीन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया में आधार अधिप्रमाणन हेतु पक्षकारों की सहमति प्राप्त करने की पद्धति, महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश द्वारा स्थापित की जायेगी।

वीना कुमारी
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-12/2022/1469/94-1-2022-312(125)/2022 दिनांक : 16 दिसम्बर, 2022

प्रतिलिपि- हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक-16 दिसम्बर, 2022 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश, लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रमोद कुमार उपाध्याय
विशेष सचिव।

संख्या-12/2022/1469/94-1-2022-312(125)/2022 दिनांक : 16 दिसम्बर, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- संयुक्त निदेशक, सूचना एवं प्रद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली।
2- संयुक्त सचिव, भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली।
3- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारत सरकार, नयी दिल्ली।
4- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
6- महानिरीक्षक निबंधन/आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
7- विशेष सचिव, नियोजन विभाग, जनशक्ति नियोजन प्रभाग, उ0प्र0 शासन।
8- समस्त जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), उ0प्र0।
9- समस्त उप महानिरीक्षक निबंधन, उ0प्र0।
10- समस्त सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उ0प्र0।
11- विधायी अनुभाग-1
12- भाषा अनुभाग-5
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

प्रमोद कुमार उपाध्याय
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM REGISTRATION ANUBHAG-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 12/2022/1469/94-1-2022-312(125)/2022 dated : 16 December, 2022

NOTIFICATION

No. 12/2022/1469/94-1-2022-312(125)/2022
Lucknow, Dated : 16 December, 2022

In exercise of the powers under the provisions of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery Of Financial And Other Subsidies, Benefits And Services) Act, 2016 (Act no. 18 of 2016) read with rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, and in pursuance of the approval given by the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, through letter no. 13(4)/2020-EG-II (Vol.-IV) dated 02.11.2022, the Governor, for the purpose of identifying the parties with their consent in the process of registration of documents under the Registration Act, 1908, permits the procedure of Aadhaar authentication to be adopted in the manner prescribed in the said letter.

2. In the process of registration of documents under the provisions of the Registration Act, 1908, the system of obtaining consent of the parties for Aadhaar authentication shall be established by the Inspector General of Registration, Uttar Pradesh.

Veena Kumari
Principal Secretary

http://sha

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।